


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अज अदालत :- जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) अशोक सिधल बनाम लोक सूचना अधि0 (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 11/2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023/30)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
<p>30.06.2023</p>	<p>अपीलान्त अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्त ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: रसद/सू.अ./2023/1830 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री अशोक सिधल लाल बाजार धौलपुर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1518ए दिनांक 18.04.2023 के द्वारा दस्ती भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त द्वारा चाही गई बांछित सूचना अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2023/1518ए दिनांक 18.04.2023 के द्वारा दस्ती भिजवाई जा चुकी है जिस पर अपीलान्त के सूचना प्राप्त करने के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी ने संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्त इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर </p>	